राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3766/2025

जगदीश प्रसाद मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर।
4. मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसीएफ, मेड़ता सिटी जिला नागौर।
5. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा, गगराना, जिला नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल सिंह खर्रा, राजकीय अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बायड़ जिला नागौर मुख्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गगराणा मेड़ता जिला नागौर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च प्रारम्भिक विद्यालय, तातारपुर, परबतसर जिला नागौर में दिनांक 13.09.2012 को हुई थी। उनका कथन है कि सीसीए नियम–17 के तहत प्रधनाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तातारपुर एवं अपीलार्थी को आरोप पत्र जारी कर उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर के कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिये गये। जांच लंबित रहते हुए अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बायड़, ब्लॉक मेड़ता सिटी जिला नागौर में नियुक्त किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 15.04.2017 को कार्यग्रहण कर लिया। इसके बाद अपीलार्थी दिनांक 06.03.2019 से 11.09.2019 तक अवकाश पर रहा तथा अपीलार्थी ने दिनांक 12.09.2019 को प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बायड़ और पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, गगराना को कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उन्होंने उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बायड़ ने दिनांक 07.11.2019 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पीईईओ, गगराना को एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की

जिसमें कहां गया कि ग्रामीणों और एसएमसी सदस्यों के विरोध के कारण अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद अपीलार्थी ने पीईईओ, गगराना से दिनांक 10.12.2019 को आवेदन के माध्यम से कार्यग्रहण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया और उसी आवेदन पर अपीलार्थी ने टिप्पणी की और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने दिनांक 10.12.2019 (अनुलग्नक–3) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गगराना में कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी दिनांक 10.12.2019 से दिनांक 16.05.2024 तक वहीं कार्यरत रहा, परन्तु अपीलार्थी की उपस्थिति नियमित स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई एवं अपीलार्थी का वेतन सीबीईओ, मकराना के कार्यालय से आहरित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.05.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बायड़ में पुनः कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये, जहां शिकायतों के आधार पर अपीलार्थी को वर्ष 2019 में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 30.05.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गगराना में ही पदस्थ रखा जाए या राजीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बायड़ को छोड़कर ब्लॉक में कहीं भी पदस्थ किया जाए, क्योंकि उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक ने पहले भी अपीलार्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और सीबीईओ, मेड़ता भी इसमें शामिल था। अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 13.06.2024 (अनुलग्नक–5) को जिला कलक्टर, नागौर एवं 18.06.2024 (अनुलग्नक–6) को जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियम–16 के तहत आरोप पत्र जारी किया। जिसका जवाब अपीलार्थी ने दिनांक 29.07.2024 को प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और यह तब से लंबित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.02.2025 के द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं सीसीए नियमों के नियम–17 के तहत पुनः आरोप पत्र जारी करने की धमकी दी गई। अपीलार्थी मानसिक पीड़ा के साथ–साथ आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को मई, 2024 से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी को वर्ष 2018 से अब तक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है और 9 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रथम एसीपी भी स्वीकृत नहीं की गई है, जो दिनांक 13.09.2021 को देय है, जो दिनांक 25.01.2025 (अनुलग्नक–7) के पत्र से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को बार–बार आरोप पत्र और कारण बताओं नोटिस करके धमकाया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को

निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गगराना में कार्य करने दिया जावे या अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बायड़ ओर सीबीईओ, मेड़ता की व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए नागौर को छोड़कर संभाग के किसी भी जिले में पदस्थापित किया जावे साथ ही अपीलार्थी को मई, 2024 से नियमित वेतन, वर्ष 2018 से वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि और दिनांक 13.09.2021 को देय प्रथम एसीपी का भुगतान करने के निर्देश दिये जावे, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य